



झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार

के निर्देशानुसार

जिला विधिक सेवा प्राधिकार, राँची

द्वारा आयोजित



विशेष लोक अदालत (चेक अनादरण से संबंधित)

दिनांक 18 जुलाई, 2026, शनिवार पूर्वाह्न 10.30 बजे से कार्य समाप्ति तक
स्थान : व्यवहार न्यायालय, राँची

(दिनांक 03 जुलाई, 2026 से 17 जुलाई, 2026 तक व्यवहार न्यायालय, राँची में चेक अनादरण से संबंधित मामलों पर बातचीत के लिए प्री-लोक अदालत की बैठकें आयोजित की जायेगी।)

झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, राँची के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार, राँची द्वारा दिनांक 03 जुलाई, 2026 से 17 जुलाई 2026 तक व्यवहार न्यायालय, राँची के परिसर में पक्षकारों के साथ चेक अनादरण के मामलों पर बातचीत के लिए प्री-लोक अदालत की बैठकें आयोजित की जायेगी, इसके साथ ही चेक अनादरण से संबंधित मामलों (न्यायालय में लंबित एवं प्री-लिटिगेशन मामले) के लिए विशेष लोक अदालत का आयोजन दिनांक 18.07.2026 को पूर्वाह्न 10:30 बजे से व्यवहार न्यायालय, राँची में किया जायेगा।

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि अधिक से अधिक संख्या में अपने मामलों को उक्त चेक अनादरण से संबंधित विशेष लोक अदालत में सूचीबद्ध करवाकर निःशुल्क, सुलभ एवं शीघ्र न्याय प्राप्त करें और इस आयोजन को सफल बनावें।

नोट :- इस संबंध में किसी भी प्रकार की विस्तृत जानकारी हेतु आप किसी भी कार्य दिवस के दिन पूर्वाह्न 10.30 बजे से कार्यावधि तक व्यवहार न्यायालय, राँची, परिसर में स्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यालय में उपस्थित होकर सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार राँची अथवा मोबाईल नम्बर — 9431319907, 9546888442 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

मुफ्त कानूनी सहायता के लिए :
☎ कॉल : 15100
टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर

सकेत रंजन
वरिय पुलिस अधीक्षक-सह-सदस्य
जिला विधिक सेवा प्राधिकार राँची।

मंजुनाथ भजमणी
उपायुक्त-सह-उपाध्यक्ष
जिला विधिक सेवा प्राधिकार, राँची।

अमित कुमार मिश्रा नं.-1
न्यायायुक्त-सह-अध्यक्ष
जिला विधिक सेवा प्राधिकार, राँची।

मुफ्त कानूनी सहायता के लिए :
☎ कॉल : 15100
टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर

निवेदक : सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, राँची।